



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक- 08 अप्रैल, 2024

थाना ककोड

25 पेटी अवैध देशी शराब (कीमत लगभग 87 हजार 500 रुपये) सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 08-04-2024 को थाना ककोड पुलिस द्वारा एक अभिसूचना के आधार पर चैकिंग के दौरान एरोसिटी रोड के पास एक खण्डर से 01 अभियुक्त को 25 पेटी अवैध देशी शराब सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना ककोड पर मुअसं- 124/24 धारा 60/63 आबकारी अधि० पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. पुष्पेन्द्र कुमार उर्फ मामा पुत्र सुखवीर सिंह निवासी विमला टाकीज के पास कस्बा व थाना जहाँगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

- 1- 25 पेटी अवैध देशी शराब
गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि बरामद शराब को वह हरियाण से लेकर आया था तथा आस पास के क्षेत्र में उच्चे दामों में बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहता था।

गिरफ्तार अभियुक्त पुष्पेन्द्र कुमार उर्फ मामा का आपराधिक इतिहास-

- 1- मुअस-1031/16 धारा 395/397/412 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
- 2- मुअस-355/16 धारा 392/411/120 बी भादवि थाना कोतवाली डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
- 3- मुअस-124/24 धारा 60/63 आबकारी अधि० थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली थाना ककोड पुलिस टीम -

1. श्री सतेन्द्र कुमार थाना प्रभारी ककोड
2. उ०नि० नितिश भारद्वाज
3. है०का० अमित कुमार, का० अशोक दीक्षित



मीडिया सेल बुलंदशहर